न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
प्रार्थना–पत्र सं० : 21 सन 2021
अनवान :–

1. धनपत पुत्र हरदत जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. आशाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
3. रेशमा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. बाधो पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री ~~[illegible]~~ सुरेन्द्र मिश्रा अधिवक्ता गैरसायल –1

निर्णय दिनांक :– 04/05/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा सायल एवं गैरसायलान की दादालाई कृषि भूमि रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि वादी के दादा मनीराम के नाम दर्ज रिकार्ड है जो सायल की दादालाई भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हक अधिकार है।

रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि में सायल के मृतक पिता हरदत का 1/5 हिस्सा था मृतक हरदत के वारिस रोशनी (पत्नी) धनपत पुत्र, सीता पुत्री, मन्जू पुत्री, कुल चार वारिस है जिनका मृतक हरदत की 1/5 हिस्सा भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसकी सायल न्यायालय से धोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 4 बहुत तेज तर्रार है तथा गैरसायल सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के हक हिस्सा को हडपने की नियत से समस्त भूमि अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की फिराक में है यदि ऐसा हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी भरपाई नही हो सकती है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलसान को पाबन्द किया जावे के वह रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि को ताफैसला दावा रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही रिकार्ड एवं मौका की यथास्थित बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 3 ,4 ने सायल के प्रार्थना पत्र का कोई जबाब पेश नही किया गैरसायल संख्या 1 ,2 ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की

सायल के पिता हरदत अपने जीवनकाल में ही रामरतन पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी भोगराना के दिनांक 20.04.1968 को खोले चला गया था तथा रोही मौजा भोगराना की कुल 44.06 बीघा भूमि मे से रामरतन के नाम दर्ज 356 हिस्सा भूमि हरदत पि०गु० रामरतन के दर्ज हो गई है तथा वादग्रस्त भूमि सायल के हक हिस्सा नही है प्रार्थना पत्र वेग कथनों के आधार पर पेश किया गया है।

सायल के पिता हरदत छोटी से अवस्था में ही रामरतन पुत्र दुलाराम ने खोले ले लिया था तथा उसके नाम खोलायत पिता रामरतन की भूमि हरदत के नाम दर्ज हो चुकी थी सायल अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में ही हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है सायल रोही मोजा चक 14 केएनएन की भूमि में से कोई हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

उतरादाता के पिता मनीराम की वादग्रस्त भूमि खरीदशुद्वा है तथा अपने जीवनकाल में ही उतरादाता संख्या 1 ,2 के नाम वसीयत करवा दी थी तथा उतरादाता ने वसीयत का नामान्तकरण दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में जैरकार है वसीयत के अनुसार भूमि उतरादाता के नाम दर्ज ना हो इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सायल उतरादाता के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों का सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा सायल एवं गैरसायलान की दादालाई कृषि भूमि रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि वादी के दादा मनीराम के नाम दर्ज रिकार्ड है जो सायल की दादालाई भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हक अधिकार है।

रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि में सायल के मृतक पिता हरदत का 1/5 हिस्सा था मृतक हरदत के वारिस रोशनी (पत्नी) धनपत पुत्र, सीता पुत्री, मन्जू पुत्री, कुल चार वारिस है जिनका मृतक हरदत की 1/5 हिस्सा भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसकी सायल न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 4 बहुत तेज तर्रार है तथा गैरसायल सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के हक हिस्सा को हडपने की नियत से समस्त भूमि अजनवी व्यक्ति को बेचान करने की फिराक में है यदि ऐसा हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी भरपाई नही हो सकती है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलसन को पाबन्द किया जावे के वह रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि को ताफैसला दावा रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही रिकार्ड एवं मौका की यथास्थित बनाये रखे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल के पिता हरदत अपने जीवनकाल में ही रामरतन पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी भोगराना के दिनांक 20.04.1968 को खोले चला गया था तथा रोही मौजा भोगराना की कुल 44.06 बीघा भूमि मे से रामरतन के नाम दर्ज 356 हिस्सा भूमि हरदत पि0मु0 रामरतन के दर्ज हो गई है तथा वादग्रस्त भूमि सायल के हक हिस्सा नही है प्रार्थना पत्र वेग कथनों के आधार पर पेश किया गया है।

सायल के पिता हरदत छोटी से अवस्था में ही रामरतन पुत्र दुलाराम ने खोले ले लिया था तथा उसके नाम खोलायत पिता रामरतन की भूमि हरदत के नाम दर्ज हो चुकी थी सायल अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में ही हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है सायल रोही मोजा चक 14 केएनएन की भूमि में से कोई हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।

उतरादाता के पिता मनीराम की वादग्रस्त भूमि खरीदशुद्वा है तथा अपने जीवनकाल में ही उतरादाता संख्या 1 ,2 के नाम वसीयत करवा दी थी तथा उतरादाता ने वसीयत का नामान्तकरण दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में जैरकार है वसीयत के अनुसार भूमि उतरादाता के नाम दर्ज ना हो इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सायल उतरादाता के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी है अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड में वाद भूमि रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि मनीराम पुत्र कुम्भा के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। तथा प्रस्तुत वसीयत के अनुसार मनीराम पुत्र कुम्भा ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत गैरसायल संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई थी मनीराम पुत्र कुम्भाराम का देहान्त हो चुका है वसीयत के अनुसार गैरसायल संख्या 1, 2 वाद भूमि के प्रथम दृष्टया हकदार पाये जाते है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष में पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल का कथन है कि वाद भूमि जो मनीराम पुत्र कुभाराम के नाम दर्ज है में सायल के पिता हरदत का 1/5 हिस्सा है जिसकी सायल धोषणा करवाने का हकदार है स्वीकार योग्य नही है प्रस्तुत खोलानामा के अनुसार सायल का पिता हरदत अपनी बाल्यवस्था में ही रामरतन पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन भोगराना के खोल जाना पाया जाता है एव प्रस्तुत निर्णय के अनुसार सायल के पिता हरदत ने अपने खोलायत पिता रामरतन की भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाई जानी भी प्रतीत होती है।

सायल का पिता जब खोले चला गया तो वह अपने खोलायत पुत्र की सम्पति में ही हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है प्राकृतिक पिता की सम्पति में प्रथम दृष्टया हक पाने का अधिकारी नही है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मनीराम पुत्र कुम्भाराम के नाम से दर्ज है जिसमें सायल के पिता का प्रथम दृष्टया कोई अधिकार नही है गैरसायल संख्या 1 ,2 अपने पिता मनीराम पुत्र कुभाराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम करवाने के लिये समक्ष न्यायालय /कार्यालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है जिसे रोका जाना न्यायालय उचित नही समझता है वसीयत की कार्यवाही में रोक लगाये जाने से सायल के हकों पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता है गैरसायलान को नुकसान/अपुर्णीय क्षति हो सकती है।

सायल ने प्रार्थना पत्र तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने पिता के खोलायत जाने के सम्बध में कोई तथ्य अकित नही किये गये है अर्थात सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है इस आधार पर भी सायल न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

सायल के द्वारा सिविल न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत/विचाराधीन है जो मनीराम पुत्र कुम्भाराम के द्वारा करवाई गई वसीयत को निरस्त करवाने से सम्बधित है जिसमें न्यायालय ने गैरसायल संख्या 1 ,2 के विरूद्व निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है जो प्रस्तुत फर्द अहकाम से साबित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार एवं वाद भूमि के सम्बध में सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश/अस्थाई निषेधाज्ञा वाद भूमि के सम्बध में जारी की जा चुकी है तो अन्य कोई निषेधाज्ञा वाद भूमि के सम्बध में जारी की जानी न्यायालय उचित नही समझता है अतः कारण कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.02.2021 को निरस्त/खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner